

78. शास. महा., कोटा, जिला - बिलासपुर

नांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798) - आयोजनेत्तर /आयोजना

1	प्राचार्य	12000-18300	1	
2	प्राध्या. राजनीति	12000-18300	1	
3	प्राध्या. अर्थशास्त्र	12000-18300	1	
4	प्राध्या. हिन्दी	12000-18300	1	
5	प्राध्या. वाणिज्य	12000-18300	1	
6	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	1	
7	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	1	
8	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	1	
9	स.प्रा. रसायन	8000-13500	1	

क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमाक
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
10	स.प्रा. गणित	8000-13500	1		
11	स.प्रा. हिन्दी	8000-13500	1		
12	स.प्रा. अंग्रेजी	8000-13500	1		
13	स.प्रा. भूगोल	8000-13500	1		
14	स.प्रा. समाज	8000-13500	1		
15	स.प्रा. राजनीति	8000-13500	2		
16	स.प्रा. अर्थशास्त्र	8000-13500	1		
17	स.प्रा. इतिहास	8000-13500	1		
18	स.प्रा. वाणिज्य	8000-13500	2		
19	कीडा अधिकारी	8000-13500	1		
20	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
21	सहा. ग्रेड-1	4500-7000	1		
23	सहा. ग्रेड-2	4000-6000	1		
24	डाल एन्ट्री ऑपरेटर	3500-5200	-	1	
25	सहा. ग्रेड-3	3050-4590	1		
26	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	4		
27	प्रयो. परिचारक	2750-4400	5		
28	भृत्य	2550-3200	2		
29	बुकलिफ्टर	2550-3200	1		
30	चौकीदार	2550-3200	1		
31	स्वीपर	2550-3200	1		
	योग :-		39	1	

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-85/2004/38,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30-11-05

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर छ.ग.

विषय:- उच्च शिक्षा संचालनालय के मैदानी कार्यालय (शासकीय महाविद्यालयों) के सेटअप के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 116 शासकीय महाविद्यालयों के लिये कुल 4551 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संस्थावार पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट में है । स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. सेटअप में उल्लिखित पदों के वेतनमान की पुष्टि कर ली गई है ।
 2. आयोजना के सभी पद अस्थायी एवं आयोजनेत्तर के सभी पद स्थायी होंगे ।
 3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयमेव अधिक्रमित माने जावेंगे ।
 4. पदों को भरने के लिये प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें ।
 5. विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा ।
2. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 537/1245./ वित्त विभाग/ब-3/2005, दिनांक .10/11/2005. के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है ।

संलग्न :- स्वीकृत सेटअप की प्रति ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)

(जी.डी. गुप्ता) 26/11/05

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-56/2015/38-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/08/2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने बाबत।

संदर्भ :- आपकी टीप क्रमांक 52/आउशि/योजना नवीन विषय/2017, दिनांक 19.05.2017

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्यावार स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन कक्षाएँ/विषयों को निम्नलिखित तालिका में दर्शित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित कक्षाएँ/विषय प्रारंभ करने की अनुमति के साथ-साथ स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

मांग संख्या - 44

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1	शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.)	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	01	25
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
2	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातको. महावि. कुरुद जिला धमतरी	एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी	01	30
3	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर	एम.ए.अंग्रेजी	01	30
4	शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	30
		एम.एस.सी. मानव विज्ञान	01	20
		एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र	01	20
5	शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30
		एम.कॉम	01	25
		एम.एस.सी. गणित	01	20
6	शासकीय के.एम.टी. कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़	एम.ए. मनोविज्ञान	01	20

CI(L241)a

21/08/17
22/08/17
23/08/2017



7	शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	20
8	शासकीय रामानुजप्रताप सिंहदेव पी.जी. महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
9	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर	एम.एस.सी.रसायनशास्त्र	01	25
		एम.एस.सी.वनस्पतिशास्त्र	01	20
10	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
11	शास.नवीन महावि. बोरी जिला दुर्ग	एम.कॉम.	01	30
12	शासकीय स्व. चन्दुलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन, जिला दुर्ग	एम.एस.सी. गणित	01	25
13	शासकीय महाविद्यालय आरंग जिला रायपुर	एम.ए. अर्थशास्त्र	01	30
14	शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला गरियाबंद	एम.ए. हिन्दी	01	30
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
15	शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया जिला कबीरधाम	एम.कॉम	01	25
16	शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़, जिला रायगढ़	एम.ए. हिन्दी साहित्य	01	30
		एम.एस.सी. रसायन	01	20

मांग संख्या - 41

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय / कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय भानपुरी, जिला बस्तर	एम.ए. समाजशास्त्र	01	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	20
2	शासकीय महावि. बरपाली जिला कोरबा	एम.कॉम	01	20
3	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर, जिला राजनांदगांव	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
		समाजशास्त्र	01	20
4	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर	एम.ए.राजनीतिशास्त्र	01	25
5	शासकीय महाविद्यालय कुनकुरी, जिला जशपुर	एम.ए. भूगोल	01	25
6	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर	एम.ए. हिन्दी	01	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	20


मांग संख्या - 64

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय / कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार	एम.ए. हिन्दी	01	30

2	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर (सेतगंगा), जिला-मुंगेली	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा	एम.ए. अंग्रेजी	01	25
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30

1. उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जबाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को "ई मेल" से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।
2. जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2017-18 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।
3. स्वीकृति जारी होने में विलम्ब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि, संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये दिनांक 06-09-2017 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।
4. प्रत्येक महाविद्यालय के नाम के समक्ष दिये गये विषय में कॉलम संख्या 5 में दी गई संख्या प्रवेश हेतु निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक /08/2017

क्रमांक एफ 3-56/2017/38-1
प्रतिलिपि :-

- 1 निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 2 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 3 अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला.....
- 5 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर, छ.ग.,
- 7 संबंधित प्राचार्य.....छ.ग.
- 8 कुल सचिव, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर/दुर्ग/पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय छ0ग0,
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
- 9 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग